

पपिरहवा अवशेषों की भारत वापसी

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 127 वर्षों के पश्चात् भगवान बुद्ध के पवित्र पपिरहवा अवशेषों की भारत वापसी का स्वागत करते हुए इसे देश की सांस्कृतिक वरिसत के लिये गौरवपूर्ण और हर्ष का क्षण बताया।

- गोदरेज इंडस्ट्रीज़ ने सरकार के साथ मिलकर औपनिवेशिक काल के दौरान वदिश ले जाए गए इन अवशेषों को सोथबी नीलामी गृह से प्राप्त करने और उन्हें भारत वापस लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके फलस्वरूप ये अवशेष नई दलिली स्थिति राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शति किये जा सकेंगे।

मुख्य बदि

- पपिरहवा अवशेषों के बारे में:
 - पपिरावा अवशेष, जिन्हें भगवान बुद्ध के अवशेष माना जाता है, वर्ष 1898 में वलियिम क्लैक्सटन पेपे द्वारा उत्तर प्रदेश के पपिरहवा स्तूप में खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे। यह स्थान भगवान बुद्ध का जन्मस्थान प्राचीन कपलिवस्तु माना जाता है।
 - इनमें बुद्ध के अस्थिखंड, सोपस्टोन (पाषाण) पात्र, कर्सिटल पात्र, रत्न, स्वर्णाभूषण तथा अन्य अनुष्ठानिक सामग्री सम्मलित हैं।
 - एक पात्र पर ब्राहमी लिपि उत्कीर्ण किये गया लेख, इन अवशेषों को प्रत्यक्ष रूप से भगवान बुद्ध से जोड़ता है, जिसमें कहा गया है कि इन्हें शाक्य वंश द्वारा समर्पित किये गए थे।
- अवशेषों का कानूनी संरक्षण:
 - भारत ने इन अवशेषों को 'AA' पुरावशेष (सबसे उच्चतम कानूनी संरक्षण स्तर) के अंतर्गत वर्गीकृत किये हैं।
 - भारतीय कानून के अनुसार, इन अवशेषों का क्रय-वक्रय या नरियात प्रतिबंधित है और इन्हें नीलामी या देश से बाहर ले जाना अवैध है।
 - वर्ष 1899 में अधिकांश अवशेष भारतीय संग्रहालय, कोलकाता को सौंप दिये गए थे, कति ब्रिटिश उत्खननकर्त्ता वलियिम क्लैक्सटन पेपे के वंशजों ने कुछ अवशेष जैसे पपिरावा अवशेष अपने पास रख लिये थे।

नोट: बुद्ध के अवशेष उनकी मृत्यु के बाद वभिन्न स्थानों पर नरिमति 9 स्तूपों में स्थापित किये गए थे, जिनमें शामिल हैं:

- बहिर में राजगृह, वैशाली, वेथादीपा और पावा
- नेपाल में कपलिवस्तु, अल्लाकपा और रामग्राम
- उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और पपिलवीना